राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफपी

<u>23 सितम्बर, 2019</u>

आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक (नदि)/एएडी/ए10563/2019

सर्व लेखा परीक्षा विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली –110003
दूरभाष: 011-2464 9031-35
ई-मेल: amit.sinha@nhb.org.in ; prabhat.ranjan@nhb.org.in

शब्द संग्रह

संक्षेपाक्षर	**विवरण**
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
HO	मुख्यालय, दिल्ली
RRO	क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई
SBI	भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी (विलय से पूर्व)
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक (कुल 20)
EMD	बयाना जमा राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
PBG	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी
AMC	वार्षिक अनुरक्षण लागत

व्याख्या: *शब्द आरएफपी, निविदा, बोली एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जाये। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।*

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	23.09.2019
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	1100 बजे 03.10.2019
3.	बोली दस्तावेज की बिक्री हेतु अंतिम तिथि एवं समय	1800 बजे 21.10.2019
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	1800 बजे 21.10.2019
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	1500 बजे 22.10.2019
6.	आरएफपी का मूल्य (अप्रतिदेय)	10,000/-
7.	बयाना जमा-राशि	1,00,000/-
8.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, सर्व लेखा परीक्षा विभाग, मुख्यालय, कोर5-ए , तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

टिप्पणी: -

- **तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थल की सूचना किसी बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।**
- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।**

2. <u>राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय</u>

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु,कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. <u>प्रयोजन:</u>

- राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) (तत्पश्चात बैंक के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए पात्र विक्रेताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव करता है:

क) साइबर सुरक्षा ढांचे (2016 से 2019 तक जारी) पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र/सूचनाओं के संबंध में बैंक की तत्परता की समीक्षा करना और बेसलाइन सुरक्षा और रिसायलंस आवश्यकता के सामने अंतरालों के स्वत:-मूल्यांकन पुनरीक्षण करना;

ख) साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) के साथ साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) और प्रक्रियाओं को डिजाइन और विकसित करना; और

ग) भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करना और सीएसओसी (यानि प्रस्ताव/आरएफपी, पात्रता मानदंड, कार्यक्षेत्र और अंतिम रूप देने आदि की शर्तों की तैयारी) स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता के चयन के लिए भी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

- प्रस्ताव दस्तावेज के लिये अनुरोध में उस सूचना से उत्पन्न विवरण शामिल होते हैं जो निर्धारित तिथि में प्रासंगिक माने जाते हैं, किंतु इसका अभिप्राय सभी जानकारी प्रदान करना नहीं जो आवश्यक या वांछनीय हो बल्कि इच्छुक अनुबंध पार्टी को रा.आ.बैंक के साथ अनुबंध या प्रबंधन में प्रवेश करें या नहीं, यह निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाना है। इस दस्तावेज़ में दिए गए या किए गए किसी भी जानकारी या विवरण की सटीकता या पूर्णता के रूप में न तो रा.आ.बैंक और न ही उसका कोई कर्मचारी, एजेंट,

ठेकेदार या परामर्शदाता कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी देता है। न तो रा.आ.बैंक और न ही उसके किसी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार या परामर्शदाता ने दस्तावेज़ के किसी भी भाग की विषय-सूची के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षा या सत्यापन किया है या करेगा।

किसी भी कानून के विपरीत, और कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, रा.आ.बैंक और उसके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, और परामर्शदाता इस आरएफपी दस्तावेज़ में निहित पूर्वानुमान, विवरण, अनुमान, या पूर्वानुमान सहित किसी भी जानकारी को कार्य से अलग करने या किसी व्यक्ति द्वारा वहन कर रहे किसी भी हानि या क्षति से सभी देयताओं को अस्वीकार करता है या सहायक आचरण अपनाता है कि क्या रा.आ.बैंक या उसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, या परामर्शदाता की किसी भी लापरवाही, चूक, देखभाल की कमी या गलत बयानी के संबंध में हानि या क्षति उत्पन्न होती है या नहीं।

4. उद्देश्य:

इस असाइनमेंट का उद्देश्य सीएसआईटीई, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और सूचनाओं का पालन करना है और साइबर सुरक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए बैंक में मजबूत सूचना सुरक्षा प्रणाली (साइबर सुरक्षा ढांचा, साइबर सुरक्षा ऑपरेशन केंद्र, इंसिडेंट रिपोर्टिंग तंत्र आदि) का निर्माण करना है।

5. कार्य-क्षेत्र:

कार्य- क्षेत्र	प्रदेय	वितरण समय-सीमा
1. साइबर सुरक्षा ढांचे पर आरबीआई परिपत्र में सूचना सुरक्षा /साइबर सुरक्षा की समीक्षा करें 1.1 बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र में बैंक की तत्परता की समीक्षा करें। 1.2 बेसलाइन सुरक्षा और रिसायलंस आवश्यकताओं पर अंतराल के स्वत: मूल्यांकन का पुनरीक्षण करना।	अनुशंसित कार्य योजना एवं प्रस्तावित समयसीमा के साथ आरबीआई परिपत्र में परिकल्पित अंतराल मूल्यांकन रिपोर्ट	**क्रय आदेश की तिथि से** 4 **सप्ताह**
2. साइबर सुरक्षा नीति तैयार करना 2.1 उपरोक्त नीति के भाग के रूप में साइबर सुरक्षा नीति एवं प्रक्रिया, साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करना।	साइबर सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं एवं साइबर संकट प्रबंधन योजना का मौजूदा नीतियों, प्रक्रियाओं में परिवर्तन।	

3. सूचना/साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईटी अवसंरचना की समीक्षा करें 3.1. सूचना सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की समीक्षा/अपडेट करें। 3.2. संगठन की वर्तमान सुरक्षा आर्किटेक्चर और सुरक्षा प्रौद्योगिकी की समीक्षा करें। 3.3. बैंक के लिए किए जा रहे सर्वर और नेटवर्क/सुरक्षा उपकरणों, अनुप्रयोग सुरक्षा टेस्टिंग [वेब और मोबाइल एप] हेतु असुरक्षितता मूल्यांकन [वीए] और व्यापन टेस्टिंग [पीटी] के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करें। 3.4. सर्वर, ओएस, वेब एप्लिकेशन, डेटाबेस, सिक्योरिटी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस आदि के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने वाले सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन दस्तावेज़ों की समीक्षा करें। 3.5. विभिन्न वायरलेस तकनीकों, सुरक्षा डिजाइन, अभिगम नियंत्रण, आदि सहित नेटवर्क सुरक्षा की समीक्षा करें।	परस्पर सहमत प्रगति रिपोर्ट। मौजूदा सूचना सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं में परिवर्तन की अनुशंसा और सम्मिलित को करें। अंतराल के अनुसार नई प्रक्रिया और दिशानिर्देश तैयार करें। सीआईएसओ के लिए समन्वय और रिपोर्टिंग तंत्र (डैशबोर्ड आदि) हेतु आईटी विभाग के लिए अनुशंसा और कार्य योजना के साथ विस्तृत रिपोर्ट	**क्रय आदेश की तिथि से** 10 **सप्ताह**

3.6. संगठनों के भीतर सुरक्षा नियंत्रण का विनियोजन और मौजूदा नेटवर्क टोपोलॉजी/नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की समीक्षा करें जैसे फायरवॉल, आईडीएस/आईपीएस, नेटवर्क सेगमेंट, वेब गेटवे, मेल गेटवे, प्रॉक्सी, डीएलपी, पैच मैनेजमेंट, एवी, कोलम्बिया, आदि। 3.6.1. फायरवॉल – • रूल/एसीएल/एनएटी बेस लेखा परीक्षा 3.6.2. आईपीएस/आईडीएस – • अनुप्रयुक्त/उपलब्ध हस्ताक्षर का आकलन। • नवीनतम असुरक्षितता और ब्लेंडेड अटेक के खिलाफ सुरक्षा की समीक्षा करें। • खतरे का पता लगाने पर समीक्षा करें। 3.6.3. वेब गेटवे – • आकलन और नीति समीक्षा • यूआरएल और विषय-सूची फ़िल्टरिंग समीक्षा • सबसे जोखिम वाले और ब्लोक्ड यूआरएल के लिये हिट्स पर समीक्षा करें। 3.6.4. मेल गेटवे – • स्पैम, विषय-सूची और मैलवेयर नीति समीक्षा • खतरे का पता लगाने पर समीक्षा करें 3.6.5. प्रोक्सी – • एसीएल/नीतियों पर समीक्षा करें 3.6.6. डीएलपी– • असंरचित डेटा के वर्गीकरण की समीक्षा करें। • समीक्षा नीतियाँ (डेटा एट रेस्ट, इन-मोशन एवं एत एंडपॉइंट) 3.6.7. पेच मैनेजमेंट–	सबसे उपयुक्त प्रस्तावित आर्किटेक्चर पर दस्तावेज़ वर्किंग मॉडल के प्रमाण के साथ प्रस्तुति। तुलनात्मक/विश्लेषण और चिह्नित समाधानों पर दस्तावेज़ परस्पर सहमति के रूप में कुछ भी	

• एंडपॉइंट सिस्टम और सर्वर की उचित स्थिति की समीक्षा करें • विनियोजन स्थिति की समीक्षा 3.6.8. एवी– • वायरस का पता लगाने, स्थान-वार, खतरे-वार की समीक्षा। • तैनाती स्थिति की समीक्षा 3.6.9. एसआईईएम– • अलर्ट/नियमों की समीक्षा करें (सह-संबंध नियम) • स्कोप और आर्किटेक्चर • इंसिडेंट प्रबंधन प्रक्रिया 3.7. बोलीदाता सुरक्षा, कार्य-निष्पादन, मापनीयता आदि के अनुसार नेटवर्क की पहचान करेगा और आर्किटेक्चर संबंधी वीकनेस को डिजाइन करेगा। 3.8. सूचना / साइबर सुरक्षा इंसिडेंट प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा करें। 3.9. बेंचमार्क के साथ सूचना / साइबर सुरक्षा मेट्रिक्स की समीक्षा करें और तैयार करें 3.10. सूचना सुरक्षा कार्यों और गतिविधियों के लिए आरएसीआई मैट्रिक्स तैयार करना 3.11. बोलीदाता सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अनुशंसा प्रदान करेगा। 3.12. बोलीदाता एंटी-फ़िशिंग, एंटी-ट्रोजन, और एंटी-मालवेयर सर्विसेज, ज़ीरो डे वलनरेबिलिटी, एड्वांस्ड परसिस्टेंस थ्रेट आदि और बैंक के मौजूदा/प्रस्तावित प्रौद्योगिकी वातावरण के अनुसार विशिष्ट कार्रवाई /अनुशंसा सहित एड्वांस्ड रीयल टाइम वलनरेबिलिटी और खुफिया जानकारी आदि की समीक्षा करेगा।		

3.13. बोलीदाता उक्त एवं संसाधन और उपकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास के अनुमान को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए उपयुक्त, विश्व स्तर पर स्वीकार्य मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करेगा। 3.14. असाइनमेंट के निष्पादन के दौरान सूचना अंतरण, प्रलेखन और सामग्री प्रदान करना। 3.15. मूल्यांकन और विकास आईएस कार्य-निष्पादन डैशबोर्ड उद्योग मानक बेंचमार्क का उपयोग कर शीर्ष प्रबंधन सहित बैंक में आईएस के बुनियादी ढांचे पर निवेश के मूल्य को प्रेषित करने हेतु एक तंत्र और प्रक्रिया के साथ आरओआई पर केंद्रित है। 3.16. बोलीदाता व्यवसाय के उद्देश्यों, बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और उद्योग सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सुरक्षा आर्किटेक्चर को बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगा। 3.17. विभिन्न आईएस उपकरण अनुप्रयोगों आदि की तैयारी, मूल्यांकन, चयन, कार्यान्वयन और निगरानी में बैंक की सहायता करना। 3.18. सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और आर्किटेक्चर के लिए अंतराल विश्लेषण का संचालन करें 3.19. NCIIPC/CERT-In /GoI/IT अधिनियम आदि से परामर्शदाता के सामने बैंक में तत्परता की समीक्षा करें।	सबसे उपयुक्त प्रस्तावित आर्किटेक्चर पर दस्तावेज़ वर्किंग मॉडल के प्रमाण के साथ प्रस्तुति। तुलनात्मक/विश्लेषण और चिह्नित समाधानों पर दस्तावेज़ परस्पर सहमति के रूप में कुछ और	

4.0 एसओसी की स्थापना सीएसओसी और इसकी स्थापना के परिचालन के लिए रिसायलंस संरचना और ढांचा हेतु प्रस्ताव और आईएस इन्फ्रास्ट्रक्चर और बैंक की वर्तमान आईटी की आवश्यकता का अध्ययन करना	सीएसओसी की स्थापना करने हेतु आवश्यक अध्ययन, आरएफपी तैयार करना, सीएसआईटीई, आरबीआई के सीएसओसी संबंधित दिशानिर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करना, सुरक्षा इंसिडेंट के डैशबोर्ड प्रणाली के निर्माण का प्रावधान को रखकर इंसिडेंट की रिपोर्ट करना एवं संबंधित फोरम यानी CSITE, RBI, NCIIPC, CERT-IN को इसकी रिपोर्ट करना	**कार्य आदेश के स्थान से 10-15 सप्ताह**

टिप्पणी: आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए जारी परिपत्रों/सूचनाओं को इस आरएफपी दस्तावेज़ के अंत में दिया गया है और बोलीदाताओं को इन गतिविधियों को निष्पादित करते समय इन सूचनाओं को ध्यान में रखना होगा। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के समय सूचना संबंधी प्रतियां भौतिक प्रति (यदि आवश्यक हो) में बोलीदाताओं को प्रदान की जाएंगी। बोलीदाता को इस आरएफपी की तारीख तक आरबीआई द्वारा जारी साइबर सुरक्षा और इस परियोजना के निष्पादन के दौरान जारी अन्य दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखना होगा।

बोलीदाता कार्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट सभी गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करेगा और बैंक को अध्ययन के विभिन्न पहलुओं के बारे में निशुल्क आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दोनों पक्षों के बीच आपसी करार पर बैंक ऐसी रिपोर्टों की आवधिकता को बदल सकता है। प्रगति रिपोर्ट के उद्धरण को "कार्यकारी सारांश" कहा जाता है, जिसे मासिक प्रगति रिपोर्ट की 3 प्रतियों के साथ 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा सफल बोलीदाता को परियोजना प्रगति और कुशल एवं समय पर निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैंक के साथ आवधिक बैठकों में भाग लेना होगा। यदि किसी भी समय बैंक देखे कि कार्य की वास्तविक प्रगति अनुमोदित मील के पत्थर के अनुरूप नहीं है, तो बोलीदाता बैंक के अनुरोध पर एक संशोधित समयरेखा तैयार करेगा जो निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित समयसीमाओं में संशोधन को दर्शाता है।

निर्धारित समय में बैंक द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत ऐसे विवरण अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों, दायित्वों या जिम्मेदारियों में से किसी के बोलीदाता को राहत नहीं देगा।

कार्य / सेवाओं के निष्पादन के दौरान यदि प्रगति निर्धारित समय में नहीं होती है तो बोलीदाता को उल्लिखित देरी और वसूली प्रक्रियाओं के लिए उचित कारणों के साथ बैंक को सूचित करना चाहिए। बोलीदाता प्रगति करने के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति, संसाधन तैनात करेगा। अतिरिक्त

श्रमशक्ति/संसाधनों की तैनाती की योजना इसकी समीक्षा और अनुमोदन के लिए बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में सभी समय और लागत प्रभाव बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

6. संविदा की अवधि:

संविदा, संविदा के प्रारंभ से और परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा। बैंक परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सफल बोलीदाता के साथ सेवा अनुबंध में शामिल होगा।

परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि आदेश पत्र (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है। यदि लागू हो, तो उसी तारीख को सेवाओं के नवीनीकरण आदि के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पणी:
यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए लेखा परीक्षक जिम्मेदार होंगे। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे सही तौर पर कार्य निष्पादन हेतु जरूरी या उपयुक्त हैं और उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के बोलीदाता में विशेष रूप से बताया गया है।

7. बोलीदाताओं को निर्देश

7.1 सामान्य:-

बोलीदाताओं से अपेक्षा का जाती है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों को जांच लें। बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा।

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाता/ओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

अमित सिन्हा सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, सर्व लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय कोर 5-ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं.: 011-39187122 ईमेल: amit.sinha@nhb.org.in	प्रभात रंजन उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, सर्व लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं.: 011-39187160 ईमेल: prabhat.ranjan@nhb.org.in

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: 11.00 से सायं 05.30 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

- रा.आ.बैंक उपयुक्त समझने पर संविदा सौंपने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 04.10.2019 को 15:00 बजे से पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा इस आरएफपी के पृष्ठ 05 पर उल्लिखित पते/ई-मेल पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

7.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सार्फ़्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।
बोलीदाताओं को खंड **7.12(i)** में यथा उल्लेखित रा.आ.बैंक के खाते में ईसीएस के माध्यम से 10,000/- रू. (दस हजार रूपए मात्र) की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा।

भुगतान का प्रमाण संलग्न हो एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखा जाय ऐसा न करने पर बोली के आगे मूल्चांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा।

- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

7.8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को वास्तविक मूल्य बोली की प्रति प्रस्तुत करना भी आवश्यक है (वास्तविक मूल्यों को प्रच्छादन (मास्किंग) करके रा.आ.बैंक को अलग से प्रस्तुत किये जा रहे रा.आ.बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार)। **यह अनिवार्य है।** वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।

7.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

7.10 बोली में शामिल दस्तावेज

1. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;
3. **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. **अनुलग्नक IV** में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
5. **अनुलग्नक V** में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर सूचना;
6. **तकनीकी प्रस्ताव:** तकनीकी बोली **अनुलग्नक VI** में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ **अनुलग्नक VII** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। अनुलग्नक I, II, III, IV, V, VI, VII, X ,XI, XII, XIII, XIV तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करें।
7. **वाणिज्यिक प्रस्ताव:** वाणिज्यिक बोली **अनुलग्नक VIII** में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ **अनुलग्नक IX** में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
8. **अनुलग्नक X** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
9. **अनुलग्नक XI** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में योग्यता का पत्र;
10. **अनुलग्नक XII** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमुख कर्मी का बायोडाटा;

11. **अनुलग्नक XIII** में प्रारूप में एस्कलेशन मैट्रिक्स ;
12. **अनुलग्नक XIV** में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) *(संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हसताक्षरी द्वारा विधिवत हसताक्षर किए 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)*
13. **अनुलग्नक XV** में दिये गये प्रारूप के अनुसार सेवा स्तरीय करार
14. **अनुलग्नक XVI** में दिये गये प्रारूप के अनुसार अप्रकटीकरण करार
15. **अनुलग्नक XVII** में दिये गये प्रारूप के अनुसार निष्पादित बैंक गारंटी

टिप्पणी: आरएफपी मूल्य और ईएमडी राशि के बिना बोलीयां अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.11 बोली मुद्रा

i. बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी।

7.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

i. सभी प्रतयुत्तर **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से एक लाख रूपये (1,00,000/-रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा से युक्त हों।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	**प्रकार**	**लाभार्थी का ब्यौरा**
1	नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	पता	कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	**SBIN0020511**
8	एमआईसीआर सं.	**110002658**

ii. ईएमडी भुगतान और आरएफपी के मूल्य का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें; ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को यथा **अनुलग्नक -X**. में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रापत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

iii. उचित रूप और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकार माना जाएगा।

iv. ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

v. जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा।

vi. ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है

- यदि बोलिदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलीयां वापस ले लेता है।
- यदि बोलिदाता कोई बयान देता है या किसी भी फोर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा हस्ताक्षर में विफल रहता है; और
- पूर्व अनुबंध अखंडता समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में

7.13 कार्यान्वयन अनुसूची

- चयनित विक्रेता को कार्य आदेश की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर सेवाएं शुरू करने के लिए रा.आ.बैंक मुख्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा।
- बोलीदाता सेवाएं सुपुर्द करने हेतु जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	**घटना**	**सुपुदर्गी अनुसूची (कार्य आदेश/लेटर ऑफ अवॉर्ड स्वीकार करने की तारीख से)**
1.	प्रारंभिक बैठक	7 दिन
2.	सेवाएं प्रारंभ करना	6 दिन

- आरएफपी के शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र प्रारंभ होगा।

7.14 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

चयनित बोलीदाता को **अनुलग्नक-XVII** में निर्दिष्ट मुलत: निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा की कुल लागत का 25% प्रदान करना होगा। इसके लिए संविदा मूल्य X होगी {X साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने हेतु प्रभार है (जैसा कि वाणिज्यिक बोली अर्थात अनुलग्नक IX में उद्धृत है)। पीबीजी को संविदा अवधि समाप्त होने के कम से कम 06 महीनों या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के लिए वैध होना चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादन या आरएफपी नियम में चूक के जोखिम समेत श्रम कानून या कोई अन्य कानूनों/ नियमों/ विनियमों एवं प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता है। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक पीबीजी के वारंट के आह्वान को वारंट कर सकता है, तथा यदि परामर्शदाता की किसी गतिविधि के कारण परिनिर्धारित हर्जाना/ अर्थदंड लगाया जाता है तो रा.आ.बैंक ऐसे उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी आह्वान करने का अधिकार रखता है। लागू सांविधिक प्रावधानों आदि के गैर-अनुपालन सहित गैर-निष्पादकता या आरएफपी शर्तों में चूक पर रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं सफल बोलीदाता पर बाध्य होगा।

7.15 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ: माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

7.16 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी :

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट **"तकनीकी प्रस्ताव"** के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।

- **भाग II :"वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।

- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

7.17 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिन्हांकन

- 8.16 में यथा निर्दिष्ट भाग I एवं भाग II के साथ "**राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव"** शीर्षक डालकर नॉन-विंडो एवं मुहरबंद लिफाफा नीचे दिए गए पते पर राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम होगा:

  उप महाप्रबंधक
  सर्व लेखा परीक्षा विभाग
  मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
  नई दिल्ली –110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।

- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर **"राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु तकनीकी प्रस्ताव**'' और "**राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव"** अलग से लिखा हो।

- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ. बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

7.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।

- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

- बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, बैंक और बोली दाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

7.19 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

7.20 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**

  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5-ए, तीसरा तल-पांचवा तल, भारत पर्यावास केंद्र,
  लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी की कीमत के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

7.21 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या

अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.22 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।

- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

7.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को रा.आ.बैंक के पूर्व लिखित अनुमति को छोड़कर किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं कर सकता है और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने खुद की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

7.25 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सप्ष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा। संविदा अवधि के दौरान सौंपे गए किसी कार्य के लिए कर रहित (वर्तमान एवं भविष्य) साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की लागत से संबंधित किसी मूल्य परिवर्तन को वहन नहीं किया जाएगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल सांविधिक कर/सेस/प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।

7.26 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

- परामर्शदाता के पास इस परियोजना के अंतर्गत सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु नई दिल्ली और मुंबई में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ।

7.27 मैंयूअल/दस्तावेज

परामर्शदाता को सूचना के स्थानांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ संविदा की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए सेवाओं हेतु अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करानी होगी।

7.28 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7.29 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

7.30 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शायें कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

7.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

7.32 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.33 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियेाजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.34 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाय।

7.35 कानूनों का अनुपालन

(क) परामर्शदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति,हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा

करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा।राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत परामर्शदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि साइबर सुरक्षा ढांचा कार्यांवयन फर्म के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

(क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जब क्षतिपूरित पक्ष क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का अविलंब लिखित में नोटिस प्रदान करे, क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का बचाव करने, प्रबंध करने, बातचीत करने अथवा निपटाने का पूरा अधिकरा प्रदान करे एवं दावों (क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के खर्चे पर) का बचाव करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराये। उपरोक्त के होते हुए भी कोई भी पक्ष किसी निपटारे अथवा समझौते कराने में अथवा जो क्षतिपूरित पक्ष आवश्यक होगा की तरहक्षतिपूरित पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार के भुगतान करने अथवा कोई अन्य मूल दायित्वों का वहन कराने मेंसहमत कराने के लिए अधिकृत नहीं है। इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यताइस प्रकार के संबोधित मामलों के लिए पक्षों की पूरी देयता को दर्शाते हैं।

(ङ) बोलीदाता स्वीकार करता हैं कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ़्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारनें में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

7.37 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो यथोचित कार्रवाई यथा बैंक द्वारा विनिश्चित है, लागू होगी।

8. अंग्रेजी पत्रानुसार

9. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

क) बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

भूमिका

(क) आरएफपी में वर्णित राष्ट्रीय आवास बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चयनित बोलीदाता के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी अनुभव एवं वित्तीय साधन जो आवश्यक अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित करने एवं अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांगी गयी सेवाओं के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में अपेक्षित अनुभव होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य केवल बोलीदाता को मूल्यांकन प्रक्रिया का एक विचार प्रदान कराना है जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपना सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये जो भी हो निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) मूल्यांकन प्रकिया का संशोधन करने एवं ऐसे किसी भी बदलाव पर बोलीदाताओं को अवगत कराने की किसी आवश्यकता के बिना संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

(ख) **कृपया यह भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि उक्त अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

(ग) सबसे पहले बोलीदाता द्वारा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रदान किये गये 'न्यूनम पात्रता मानदंड'का विवरण का खंड में वर्णित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर केवल उन वेंडरों पर विचार किया जाएगा जो **न्यूनतम पात्रता मानदंड** पूरा करते हों।

(घ) तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित खंडों में उल्लिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

ख. न्यूनतम पात्रता मानदंड

क्रम सं.	मानदंड
1.	बोलीदाता को आईएसओ 27001 प्रमाणित संगठन होना चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना चाहिए
2.	विगत 5 वर्षों के दौरान (यानी 01.4.2014 से 31.03.2019 के बीच) बोलीदाता को कम से कम एक एससीबी/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में साइबर सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन का काम करना चाहिए, जिसकी संपत्ति का आकार यथा 31 मार्च, 2019 तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो।
3.	सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठन के रूप में बोलीदाता को सीईआरटी-इन के साथ पैनल किया जाना चाहिए।
4.	बोलीदाता कंपनी के पास अपने पेरोल में कम से कम 25 योग्य सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा पेशेवर (DISA / CISA / CISM / CDAC / CEH) होना चाहिए।
5.	बोलीदाता का दिल्ली एनसीआर/मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अपना स्वयं का कार्यालय हो।
6.	बोलीदाता को विगत पांच वर्षों में भारत में किसी भी सरकारी वित्तीय संस्थान/बैंक/आरबीआई/आईसीएआई/आईबीए/सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में न डाला गया हो/विवर्जित न किया गया हो एवं काली सूची प्रवृत्त न हो। प्रारूप एफ लैटरहैड पर घोषणा के साथ भरा जाय।
7.	बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी निदेशक अथवा कर्मचारी वर्तमान व वे जो विगत दो वर्षों में सेवा निवृत्त हुए हैं दोनों व उनरके किसी रिश्तेदार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन न हो। इसके अतिरिक्त बोलीदाता किसी भी कार्य चाहे वह 'कार्य/जॉब/नियुक्ति' से जुड़ा है, के लिए भागीदारों, कर्मचारियों या ठेकेदारों के रूप में किसी पूर्ववर्ती व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा और न ही वे किसी भी विधि में 'कार्य/जॉब/नियुक्ति' से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ उठाएंगे। लैटरहैड पर घोषणा के साथ प्रारूप जी भरें।
8.	विगत तीन वर्ष यानि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान फर्म की जानकारी/साइबर सुरक्षा गतिविधियों से औसत सालाना कारोबार कम से कम 10 करोड़ रुपये हो।

क. बोलीदाता प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपरोक्त उल्लिखित सभी मापदंडों के संबंध में संबंधित प्रारूपों में दी गई सूचना का दस्तावेजी साक्ष्य (बैंक को स्वीकार्य) प्रस्तुत करे। उपरोक्त मापदंड पूरा न करने वाले बोलीदाता के प्रस्ताव अथवा वे बोलीदाता जो बैंक को संतुष्ट करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करे, उनकी बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएगी।

ख. न्यूनतम पात्रता मापदंड पूरा करने वाले बोलीदाता पर ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

i. बोलीदाताओं से प्राप्त तकनीकी बोलियां उपलब्ध बोलीदाताओं की उपस्थिति में निश्चित समय पर ही खोली जाएगी।

ii. तकनीकी बोली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन प्रत्येक बोली को निर्दिष्ट तकनीकी अंक (टीएस) के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन का अंकों का वितरण मापदंड निम्नलिखित तालिकानुसार होगा।

अंकों का वितरण (अधिकतम अंक 100)

क्र.सं.	**विवरण**	**अंक**
	भाग I	
1.	सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में फर्म की मौजूदगी (अधिक अंक 15):	
	15 वर्ष से अधिक	15
	वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम	10
	05 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	05
2.	सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पेशेवर कर्मचारियों की संख्या (टाइपिस्ट, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सचिव और अधीनस्थ कर्मचारी आदि को छोड़कर) (बोलीदाता अपने लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करेगा जिसमें योग्यता, पदनाम, अनुभव के वर्ष की संख्या आदि शामिल होंगे।) (अधिक अंक 15):	
	75 वर्ष से अधिक	15
	40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम	10
	25 वर्ष से अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम	05
3.	एससीबी/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान /पीएसबी की संख्या, जहाँ विक्रेता ने साइबर सुरक्षा ढाँचे का क्रियान्वयन किया है	
	5 करोड़ से अधिक	15
	3 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम	10
	1 करोड़ से अधिक लेकिन 3 करोड़ से कम	05
4.	साइबर सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित क्लाइंट द्वारा कोई संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया	
	5 करोड़ से अधिक	15
	3 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम	10
	1 करोड़ से अधिक लेकिन 3 करोड़ से कम	05
5.	विगत तीन वर्ष यानि . 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान फर्म की औसत व्यायसायिक आय। (अधिकतम अंक: 15)	
	20 करोड़ से अधिक	15

	15 करोड़ से अधिक लेकिन 20 करोड़ से कम 10 करोड़ से अधिक लेकिन 15 करोड़ से कम	10 05
	भाग II	
6.	साइबर सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन और सी-एसओसी की स्थापना के लिए प्रस्तावित रोडमैप पर प्रस्तुति	25

ii.बोलीदाता उपरोक्त प्रत्येक मापदंड के लिए समर्थित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

iii. तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक कुल 100 अंक (प्रस्तुततिकरण के अंक सहित) में से 75 (कट ऑफ मार्क) होगा।

iii. वित्तीय बोली

i. तकनीकी बोली के अपेक्षित मानदंड की सफलतापूर्वक अर्हता रखने वाली कंपनियां पर ही वित्तीय बोली के दौर की पात्रता के लिए विचार किया जाएगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा:

ii. सबसे न्यूनतम बोली को 100 अंकों का अधिकतम वित्तीय अंक दिया जाएगा।

iii. अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंक की गणना सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के सापेक्ष में की जाएगी।

iv. वित्तीय अंक गणना करने की कार्यप्रणाली निम्नलिखित है:

$$\text{वित्तीय अंक (विचाराधीन बोली)} = \frac{\text{100 X सबसे कम कीमत वाली बोली)}}{\text{बोली की कीमत (विचाराधीन बोली)}}$$

v. अंतिम प्रक्रिया

- प्रस्तावों को निम्नलिखित विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को मिलाकर प्राप्त उनके अंतिम अंक के अनुसार अंक दिया जाएगा।
  अंतिम अंक = तकनीकी अंक X टी + वित्तीय अंक X एफ
  (**टी**-तकनीकी बोली को दिया गया भारांक अंतिम अंक (एफएस) = तकनीकी अंक X टी + वित्तीय अंक X एफ, **एफ**-वित्तीय बोली को दिया गया भारांक, **टी + एफ = 1**)
  बोलियों के भारांक निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

तकनीकी बोली टी	60%
वित्तीय बोली एफ	40%
कुल भारांक	100%

सबसे अधिक तकनीकी एवं वित्तीय अंक प्राप्त करने वाली फर्म को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यपद्धति, अंकों का वितरण एवं भारांक संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा आवश्यक पाया जाता है।

10.वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तो पर ध्यान दें।

10.1 मुद्रा

बोलदाता से अनुरोध है रूपये में अपनी कोटेशन दें। रूपये से अलग मुद्रा में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.2 कीमत

क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
ख) कीमत पूरी अनुबंध की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
ग) कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर, (जीएसटी रहित) शुल्क, उदग्रहण प्रभर, ढुलाई, बीमा, चुंगी इत्यादि शामिल होने चाहिए।
घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के अनुबंध के कार्य निष्पादन के दौरान स्थिर रहेगी।
ङ) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10.3 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार एसएलए एवं एनडीए पर हस्ताक्षर होने के पश्चात पीबीजी की प्रस्तुति के बाद जारी किया जाएगा।

सेवा प्रदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा:

- परियोजना शुरू होने पर अनुबंध मूल्य का 25%
- साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना और बैंक द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद अनुबंध मूल्य का 35%
- परियोजना के पूरा होने पर अनुबंध मूल्य का 40% और अंतिम साइन-ऑफ

10.4 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

पूरे अनुबंध को पूर्ण रूप से पूरा किया जाना है और बोलीदाता द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए किसी भी पूर्व समाप्ति/असमर्थता के परिणामस्वरूप बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी का कोई भुगतान नहीं होगा। बैंक द्वारा प्रो-रटा भुगतान के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What’s New